भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.-2452

उत्तर देने की तारीख-**03/08/2026**

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों की स्थापना

†2452. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों के तहत भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या राज्य-वार कितनी है तथा आंध्र प्रदेश के संबंध में विशिष्ट ब्यौरा क्या है;

(ख) आंध्र प्रदेश के विशेष संदर्भ सहित इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन संस्थानों की संख्या कितनी है जिन्हें स्वीकृति प्रदान की गई है और आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं;

(ग) भारत में ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक अवसंरचना और प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम क्या हैं;

(घ) उक्त विदेशी परिसरों की स्थापना में सहायता के लिए आंध्र प्रदेश को आवंटित निधि सहित प्रदान किए गए सरकारी वित्तपोषण का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यूजीसी के दिशा-निर्देशों के तहत आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परिसरों सहित ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों के विनियमन हेतु निर्धारित निगरानी एवं पर्यवेक्षण तंत्र क्या है**?**

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना एवं संचालन) विनियम **2023** के तहत कई विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों (एफएचईआई) ने भारत में अपने शाखा परिसर स्थापित करने में रुचि व्यक्त की है।

यूजीसी ने बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई सहित भारत के विभिन्न स्थानों पर अपने परिसर स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के **15** एफएचईआई को **16** आशय पत्र (एलओआई) जारी किए हैं। भारत में शाखा परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव रखने वाले एफएचईआई ने संकेत दिया है कि वे व्यवसाय, अर्थशास्त्र, लेखांकन, वित्त, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, गेम डिज़ाइन, उद्यमिता, नवाचार, जैव-चिकित्सा विज्ञान सहित अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करेंगे, ताकि वैश्विक शैक्षणिक और उद्योग जगत की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यूजीसी ने भारत में एफएचईआई परिसरों की स्थापना के प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु एक एकल-विंडो स्वीकृति तंत्र की स्थापना तथा एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन किया है। समिति आवेदनों की जांच करती है और आयोग को सिफारिशें करती है। इन सिफारिशों के आधार पर, यूजीसी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करता है और एक आशय पत्र जारी करता है। केवल विश्व स्तर पर शीर्ष **500** रैंक वाले विश्वविद्यालयों में शामिल एफएचईआई ही पात्र हैं, और आवेदकों को मान्यता प्राप्त निकायों से नवीनतम प्रत्यायन या गुणवत्ता आश्वासन रिपोर्ट जमा करनी होगी।

यूजीसी विनियामक फ्रेमवर्क यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि भारत में दी जाने वाली शिक्षा उसी मानक की है जो विदेश में मूल परिसर में दी जाती है, साथ ही भारत में लागू विधियों और विनियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाता है। यूजीसी विनियमों के तहत एफएचईआई द्वारा प्रदान की गई अर्हताएं मान्यता प्राप्त होंगी और उन्हें भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की गई किसी भी संबंधित अर्हता के समतुल्य माना जाएगा, तथा किसी भी प्राधिकरण से किसी भी समकक्षता की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक **16** दिसंबर **2025** को 'एफएचईआई हेतु सुविधा समिति' का भी गठन किया है। यूजीसी द्वारा एलओआई सौंपे जाने के बाद, समिति को एफएचईआई को भारत में अपने परिसरों की स्थापना में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है। समिति भारत में विनियामक तंत्र के अनुरूप शैक्षणिक/वित्तीय/शासन आदि संबंधित पहलुओं का पर्यवेक्षण और निगरानी भी करती है।
